



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102026-277456
CG-DL-E-28102026-277456

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 849]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 27, 2026/कार्तिक 5, 1948

No. 849]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2026/KARTIKA 5, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

सं. 06/2026-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 936(अ).— केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) धारा 9 की उप-धारा (1), (3), और (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) सारणी में, -

i. क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में -

(क) मद (i) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी होटल आवास सेवा के किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से खरीदी गई होटल आवास सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।]"

बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर केंद्रीय कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' ने 'ख' से ₹7,000 प्रति इकाई प्रति दिन की दर पर होटल आवास सेवा बुक की। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति करने के लिए, किसी अन्य आपूर्तिकर्ता 'ग' से ₹10,000 प्रति इकाई प्रति दिन की दर पर होटल आवास सेवा प्राप्त करता है। 'ग', 'ख' से 9% की दर से केंद्रीय कर (₹900) वसूल करता है। 'ख', 'क' से 2.5% की दर से केंद्रीय कर वसूल करता है। 'ख', 'ग' द्वारा आपूर्ति की गई समान राह में इनपुट सेवा पर केवल ₹250 (₹10,000 का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा, न कि ₹900 का।";

(ख) मद (ii) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट, व्यवसाय की तरह ही इनपुट सेवाएँ के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी निर्दिष्ट परिसर के अलावा रेस्तरां सेवा के किसी अन्य सेवा प्रदाता से खरीदी गई सेवा) के अलावा, नहीं लिया गया है [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।]";

(ग) मद (iii) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट और इनपुट सेवाएँ के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी माल की आपूर्ति, मानव उपभोग के लिए भोजन या कोई अन्य वस्तु या कोई पेय, चाहे ट्रेनों में या प्लेटफार्मों पर, भारतीय रेलवे या आई.आर.सी.टी.सी. या उनके लाइसेंसधारियों से खरीदा गया हो) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।]";

(घ) मद (iv) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी बाह्य कैटरिंग सेवा के किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से खरीदी गई बाह्य कैटरिंग सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।]"

बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर केंद्रीय कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।";

(ङ) मद (v) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी बाह्य कैटरिंग सेवा के किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से खरीदी गई बाह्य कैटरिंग सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।]"

बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर केंद्रीय कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' ने 'ख' को विनिर्दिष्ट परिसर से भिन्न परिसर में आयोजित विवाह समारोह के लिए ₹1,00,000 की राशि पर परिसर को किराए पर देने के साथ बाह्य कैटरिंग की सम्मिश्र

आपूर्ति हेतु नियोजित किया। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति करने के लिए, ₹60,000 की राशि पर किसी अन्य बाह्य कैटरिंग सेवा प्रदाता 'ग' को नियोजित करता है। 'ग', 'ख' से 9% की दर से केंद्रीय कर (₹5,400) वसूल करता है। 'ख', 'क' से 2.5% की दर से केंद्रीय कर (₹2,500) वसूल करता है। 'ख', 'ग' द्वारा आपूर्ति की गई समान राह में इनपुट सेवा, अर्थात् बाह्य कैटरिंग सेवा, पर केवल ₹1,500 (₹60,000 का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा, न कि ₹5,400 का।";

- ii. क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (via) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
"(vib) यात्रियों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी विद्युत संचालित वाहन द्वारा यात्रियों का परिवहन जहां बैटरी चार्जिंग की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित है।	2.5	बशर्ते कि व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी अन्य सेवा प्रदाता से विद्युत संचालित वाहन में यात्रियों के परिवहन की सेवा या विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने कि सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।] बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर केंद्रीय कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। उदाहरण: 'A' 1000 रुपये में 'B' को विद्युत संचालित वाहन से नई दिल्ली से गया तक परिवहन के लिए नियुक्त करता है। 'B', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'C' से 800 रुपये में ऑपरेटर के साथ एक विद्युत संचालित वाहन किराए पर लेता है। 'C' 9% (72 रुपये) की दर से 'B' से केंद्रीय कर वसूलता है। यदि 'B' 2.5% की दर से 'A' से केंद्रीय कर वसूलता है, तो वह 'C' द्वारा समान राह के व्यवसाय की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रुपये का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा नाकि 72 रुपये।
	या	
	9	-";

- iii. क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (ia) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
	2.5	बशर्ते कि व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी अन्य सेवा प्रदाता से विद्युत संचालित वाहन में यात्रियों के परिवहन की सेवा या विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने कि सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।]

"(ib) यात्रियों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी विद्युत संचालित वाहन को किराए पर देना जहां बैटरी चार्जिंग की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित है।		बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर केंद्रीय कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। उदाहरण: 'A' यात्रियों के परिवहन के लिए विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने के लिए 'B' को 1000 रुपये में नियुक्त करता है। 'B', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'C' से 800 रुपये में ऑपरेटर के साथ एक विद्युत संचालित वाहन किराए पर लेता है। 'C' 9% (72 रुपये) की दर से 'B' से केंद्रीय कर वसूलता है। यदि 'B' 2.5% की दर से 'A' से केंद्रीय कर वसूलता है, तो वह 'C' द्वारा समान राह के व्यवसाय की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रुपये का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा नाकि 72 रुपये।
		या
	9	-
"(ic) माल के परिवहन के लिए किसी भी विद्युत संचालित वाहन को किराए पर देना जहां बैटरी चार्जिंग की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित है।	2.5	बशर्ते कि व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी अन्य सेवा प्रदाता से विद्युत संचालित वाहन में माल के परिवहन की सेवा या विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने की सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।] बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर केंद्रीय कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। उदाहरण: 'A' माल के परिवहन के लिए विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने के लिए 'B' को 1000 रुपये में नियुक्त करता है। 'B', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'C' से 800 रुपये में ऑपरेटर के साथ एक विद्युत संचालित वाहन किराए पर लेता है। 'C' 9% (72 रुपये) की दर से 'B' से केंद्रीय कर वसूलता है। यदि 'B' 2.5% की दर से 'A' से केंद्रीय कर वसूलता है, तो वह 'C' द्वारा समान राह के व्यवसाय की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रुपये का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा नाकि 72 रुपये।
		या
	9	-";

- iv. क्रम संख्या 12 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (iii) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) के अलावा डिलीवरी सेवाएं, (क) जिसकी आपूर्ति इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से की जाती है जहां ऐसी सेवाओं की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है (ख) वैसे माल के संबंध में, जिस माल की आपूर्ति इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से की जाती है।	2.5	बशर्ते कि डिलीवरी सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]।”;

(ख) अनुच्छेद 3 को हटा दिया जाएगा;

(ग) स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 में,

i. खंड (xxxx) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

‘(xxxx)“माल परिवहन एजेंसी” से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।’;

ii. खंड (xxxxiv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘(xxxxv)“विद्युत संचालित वाहन” का अर्थ ऐसे सड़क वाहन से है जो पूरी तरह से विद्युत ऊर्जा से चलता है। यह विद्युत ऊर्जा या तो बाहरी स्रोत से आती है या सड़क वाहनों में फिट की गई एक या एक से अधिक विद्युत बैटरी से आती है और इसमें ई-साइकिल शामिल होगी।’.

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

[फा.सं. 190354/142/2026-टीआरयू अनुभाग-सीबीआईसी]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 11/2017 - केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि.सं. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 15/2025-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, सा.का.नि.सं. 663 (अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 के तहत अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 06/2026- Central Tax (Rate)

G.S.R. 936(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3), and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number 11/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the

Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

a) in the Table, -

(i) against serial number 7, in column (3), -

(A) against item (i), in column (5), the following entry shall be substituted, namely: -

“Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. hotel accommodation service procured from another supplier of hotel accommodation service), has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)].

Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges central tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.

Illustration: ‘A’ books a hotel accommodation from ‘B’ for ₹7,000 per unit per day. ‘B’, for supplying the said service, procures hotel accommodation service from another supplier ‘C’ for ₹10,000 per unit per day. ‘C’ charges ‘B’ central tax at the rate of 9% (₹900). ‘B’ charges ‘A’ central tax at the rate of 2.5%, ‘B’ shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by ‘C’ only to the extent of ₹250 (2.5% of ₹10,000) and not ₹900.”;

(B) against item (ii), in column (5), the following entry shall be substituted, namely: -

“Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service procured from another service provider of restaurant service other than at specified premises), has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)]”;

(C) against item (iii), in column (5), the following entry shall be substituted, namely: -

“Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of inputs and input services in the same line of business (i.e. supply of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, whether in trains or at platforms, procured from Indian Railways or IRCTC or their licensees), has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)]”;

(D) against item (iv), in column (5), the following entry shall be substituted, namely: -

“Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. Outdoor catering service procured from another supplier of outdoor catering service), has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)]

Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges central tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.”;

(E) against item (v), in column (5), the following entry shall be substituted, namely: -

“Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. outdoor catering service procured from another supplier of outdoor catering service), has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)]

Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges central tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.

Illustration: ‘A’ engages ‘B’ for a composite supply of outdoor catering together with renting of premises at premises other than specified premises, for a wedding function for ₹1,00,000. ‘B’, for supplying the said service, engages ‘C’, another outdoor catering service provider, for ₹60,000. ‘C’ charges ‘B’ central tax at the rate of 9% (₹5,400). ‘B’ charges ‘A’ central tax at the rate of 2.5% (₹2,500), ‘B’ shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business, i.e. outdoor catering service supplied by ‘C’, only to the extent of ₹1500 (2.5% of ₹60,000) and not ₹5,400.”;

(ii) against serial number 8, after item (via) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(vib) Transport of passengers by any electrically operated vehicle designed to carry passengers where the cost of battery charging is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service of transportation of passengers in an electrically operated vehicle or service of renting of an electrically operated vehicle, procured from another service provider), has not been taken. [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)] Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges central tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken. Illustration: ‘A’ engages ‘B’ for transportation of passengers from New Delhi to Gaya in an electrically operated vehicle for Rs. 1000. ‘B’, for supplying the said service, hires an electrically operated vehicle with operator from ‘C’ for Rs. 800. ‘C’ charges ‘B’ central tax at the rate of 9% (Rs. 72). If ‘B’ charges ‘A’ central tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by ‘C’ only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 72.
	or	
	9	—”;

(iii) against serial number 10, after item (ia) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ib) Renting of any electrically operated vehicle designed to carry passengers where the cost of battery charging is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service of transportation of passengers in an electrically operated vehicle or service of renting of an electrically operated vehicle, procured from another service provider) has not been taken. [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)] Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges central tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5% shall not be taken. Illustration: ‘A’ engages ‘B’ for renting of electrically operated vehicle for transportation of passengers for Rs. 1000. ‘B’, for supplying the said service, rents an electrically operated vehicle with operator from ‘C’ for Rs. 800. ‘C’ charges ‘B’ central tax at the rate of 9% (Rs. 72). If ‘B’ charges ‘A’ central tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by ‘C’ only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 72.
	or	
	9	-
“(ic) Renting of any electrically operated vehicle for transportation of goods where the cost of battery charging is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service of transportation of goods by an electrically operated vehicle or service of renting of an electrically operated vehicle, procured from another service provider) has not been taken. [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)] Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges central tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5% shall not be taken. Illustration: ‘A’ engages ‘B’ for renting of electrically operated vehicle for transportation of goods for Rs. 1000. ‘B’, for supplying the said service, rents an electrically operated vehicle with operator from ‘C’ for Rs. 800. ‘C’ charges ‘B’ central tax at the rate of 9% (Rs. 72). If ‘B’ charges ‘A’ central tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by ‘C’ only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 72.
	or	
	9	-”;

(iv) against serial number 12, for item (iii) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) Delivery services, other than (i) and (ii) above,	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying delivery service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)].”;

(a) supplied through electronic commerce operator where the person supplying such services is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (b) in relation to goods, where such goods are supplied through an electronic commerce operator.		
--	--	--

b) paragraph 3 shall be omitted;

c) in paragraph 4, relating to Explanation,

(i) for clause (xxxx), the following clause shall be substituted: -

‘(xxxx) “goods transport agency” means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called;’

(ii) after clause (xxxiv), the following clause shall be inserted, namely:-

‘(xxxv) “electrically operated vehicle” means a road vehicle which runs solely on electrical energy derived from an external source or from one or more electrical batteries fitted to such vehicle and shall include E- bicycles;’.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

[F. No. 190354/142/2026-TRU Section-CBIC]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: The principal notification number 11/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended *vide* notification number 15/2025-Central Tax (Rate), dated the 17th September, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 663(E), dated the 17th September, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2026

सं. 06/2026- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 937(अ).— एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1), (3) और (4), धारा 6 की उप-धारा (1) और (3) तथा धारा 20 के साथ पठित, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों, का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. संख्या 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में, -

i. क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में-

(क) मद (i) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी होटल आवास सेवा के किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से खरीदी गई होटल आवास सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।]"

बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 5% से अधिक दर पर एकीकृत कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' ने 'ख' से ₹7,000 प्रति इकाई प्रति दिन की दर पर होटल आवास सेवा बुक की। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति करने के लिए, किसी अन्य आपूर्तिकर्ता 'ग' से ₹10,000 प्रति इकाई प्रति दिन की दर पर होटल आवास सेवा प्राप्त करता है। 'ग', 'ख' से 18% की दर से एकीकृत कर (₹1,800) वसूल करता है। 'ख', 'क' से 5% की दर से एकीकृत कर वसूल करता है। 'ख', 'ग' द्वारा आपूर्ति की गई समान राह में इनपुट सेवा पर केवल ₹500 (₹10,000 का 5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा, न कि ₹1,800।";

(ख) मद (ii) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट, व्यवसाय की तरह ही इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी निर्दिष्ट परिसर के अलावा रेस्तरां सेवा के किसी अन्य सेवा प्रदाता से खरीदी गई सेवा) के अलावा, नहीं लिया गया है [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।]";

(ग) मद (iii) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट और इनपुट सेवाएँ के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी माल की आपूर्ति, मानव उपभोग के लिए भोजन या कोई अन्य वस्तु या कोई पेय, चाहे ट्रेनों में या प्लेटफार्मों पर, भारतीय रेलवे या आई.आर.सी.टी.सी. या उनके लाइसेंसधारियों से खरीदा गया हो) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।]";

(घ) मद (iv) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी बाह्य कैटरिंग सेवा के किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से खरीदी गई बाह्य कैटरिंग सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।]"

बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 5% से अधिक दर पर एकीकृत कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।";

(ङ) मद (v) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी बाह्य कैटरिंगसेवा के किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से खरीदी गई बाह्य कैटरिंग सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।]"

बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 5% से अधिक दर पर एकीकृत कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' ने 'ख' को विनिर्दिष्ट परिसर से भिन्न परिसर में आयोजित विवाह समारोह के लिए ₹1,00,000 की राशि पर परिसर को किराए पर देने के साथ बाह्य कैटरिंग की सम्मिश्र

आपूर्ति हेतु नियोजित किया। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति करने के लिए, किसी अन्य बाह्य कैटरिंग सेवा प्रदाता 'ग' को ₹60,000 की राशि पर नियोजित करता है। 'ग', 'ख' से 18% की दर से एकीकृत कर (₹10,800) वसूल करता है। 'ख', 'क' से 5% की दर से एकीकृत कर (₹5,000) वसूल करता है। 'ख', 'ग' द्वारा आपूर्ति की गई समान राह में इनपुट सेवा, अर्थात् बाह्य कैटरिंग सेवा, पर केवल ₹3,000 (₹60,000 का 5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा, न कि ₹10,800।";

- ii. क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (via) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा

(3)	(4)	(5)
"(vib) यात्रियों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी विद्युत संचालित वाहन द्वारा यात्रियों का परिवहन जहां बैटरी चार्जिंग की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित है।	5	बशर्ते कि व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी अन्य सेवा प्रदाता से विद्युत संचालित वाहन में यात्रियों के परिवहन की सेवा या विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने कि सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।] बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 5% से अधिक दर पर एकीकृत कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। उदाहरण: 'A' 1000 रुपये में 'B' को विद्युत संचालित वाहन से नई दिल्ली से गया तक परिवहन के लिए नियुक्त करता है। 'B', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'C' से 800 रुपये में ऑपरेटर के साथ एक विद्युत संचालित वाहन किराए पर लेता है। 'C' 18% (144 रुपये) की दर से 'B' से एकीकृत कर वसूलता है। यदि 'B' 5% की दर से 'A' से एकीकृत कर वसूलता है, तो वह 'C' द्वारा समान राह के व्यवसाय की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 40 रुपये (800 रुपये का 5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा नाकि 144 रुपये।
	या	
	18	-";

- iii. क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (ia) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
	5	बशर्ते कि व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी अन्य सेवा प्रदाता से विद्युत संचालित वाहन में यात्रियों के परिवहन की सेवा या विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने कि सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।]

"(ib) यात्रियों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी विद्युत संचालित वाहन को किराए पर देना जहां बैटरी चार्जिंग की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित है।		बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 5% से अधिक दर पर एकीकृत कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। उदाहरण: 'A' यात्रियों के परिवहन के लिए विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने के लिए 'B' को 1000 रुपये में नियुक्त करता है। 'B', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'C' से 800 रुपये में ऑपरेटर के साथ एक विद्युत संचालित वाहन किराए पर लेता है। 'C' 18% (144 रुपये) की दर से 'B' से एकीकृत कर वसूलता है। यदि 'B' 5% की दर से 'A' से एकीकृत कर वसूलता है, तो वह 'C' द्वारा समान राह के व्यवसाय की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 40 रुपये (800 रुपये का 5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा नाकि 144 रुपये।
"(ic) माल के परिवहन के लिए किसी भी विद्युत संचालित वाहन को किराए पर देना जहां बैटरी चार्जिंग की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित है।	5	बशर्ते कि व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी अन्य सेवा प्रदाता से विद्युत संचालित वाहन में माल के परिवहन की सेवा या विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने कि सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।] बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 5% से अधिक दर पर एकीकृत कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। उदाहरण: 'A' माल के परिवहन के लिए विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने के लिए 'B' को 1000 रुपये में नियुक्त करता है। 'B', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'C' से 800 रुपये में ऑपरेटर के साथ एक विद्युत संचालित वाहन किराए पर लेता है। 'C' 18% (144 रुपये) की दर से 'B' से एकीकृत कर वसूलता है। यदि 'B' 5% की दर से 'A' से एकीकृत कर वसूलता है, तो वह 'C' द्वारा समान राह के व्यवसाय की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 40 रुपये (800 रुपये का 5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा नाकि 144 रुपये।
		या
		18 -
		या
	18	-";

iv. क्रम संख्या 12 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (iii) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) के अलावा डिलीवरी सेवाएं, (क) जिसकी आपूर्ति इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से की जाती है जहां ऐसी सेवाओं की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल और सेवा	5	बशर्ते कि डिलीवरी सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।]”;

कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है (ख) वैसे माल के संबंध में, जिस माल की आपूर्ति इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से की जाती है।		
---	--	--

(ख) अनुच्छेद 3 को हटा दिया जाएगा;

(ग) स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 5 में,

i. खंड (xxxx) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

‘(xxxx)“माल परिवहन एजेंसी” से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।’;

ii. खंड (xxxxiv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘(xxxxv)“विद्युत संचालित वाहन” का अर्थ ऐसे सड़क वाहन से है जो पूरी तरह से विद्युत ऊर्जा से चलता है। यह विद्युत ऊर्जा या तो बाहरी स्रोत से आती है या सड़क वाहनों में फिट की गई एक या एक से अधिक विद्युत बैटरी से आती है और इसमें ई-साइकिल शामिल होगी।’.

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/142/2026-टीआरयू अनुभाग-सीबीआईसी]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 8/2017 - एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि.सं. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 15/2025-एकीकृत कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, सा.का.नि. 664 (अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 के तहत अंतिम संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 06/2026- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 937(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 5, sub-section (1) and sub-section (3) of section 6 and section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number 8/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(a) in the Table, -

(i) **against serial number 7, in column (3), -**

(A) **against item (i), in column (5),** the following entry shall be substituted, namely: -

“Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. hotel accommodation service procured from another supplier of hotel accommodation service), has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)]

Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges integrated tax at a rate higher than 5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 5%, shall not be taken.

Illustration: ‘A’ books a hotel accommodation from ‘B’ for ₹7,000 per unit per day. ‘B’, for supplying the said service, procures hotel accommodation service from another supplier ‘C’ for ₹10,000 per unit per day. ‘C’ charges ‘B’ integrated tax at the rate of 18% (₹1800). ‘B’ charges ‘A’ integrated tax at the rate of 5%, ‘B’ shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by ‘C’ only to the extent of ₹500 (5% of ₹ 10,000) and not ₹1800.”;

(B) **against item (ii), in column (5)**, the following entry shall be substituted, namely: -

“Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service procured from another service provider of restaurant service other than at specified premises), has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)]”;

(C) **against item (iii), in column (5)**, the following entry shall be substituted, namely: -

“Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of inputs and input services in the same line of business (i.e. supply of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, whether in trains or at platforms, procured from Indian Railways or IRCTC or their licensees), has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)]”;

(D) **against item (iv), in column (5)**, the following entry shall be substituted, namely: -

“Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. outdoor catering service procured from another supplier of outdoor catering service), has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)]

Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges integrated tax at a rate higher than 5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 5%, shall not be taken.”;

(E) **against item (v), in column (5)**, the following entry shall be substituted, namely: -

“Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. outdoor catering service procured from another supplier of outdoor catering service), has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)]

Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges integrated tax at a rate higher than 5%, credit of input tax

charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 5%, shall not be taken.

Illustration: 'A' engages 'B' for a composite supply of outdoor catering together with renting of premises at premises other than specified premises, for a wedding function for ₹1,00,000. 'B', for supplying the said service, engages 'C', another outdoor catering service provider, for ₹60,000. 'C' charges 'B' integrated tax at the rate of 18% (₹10,800). 'B' charges 'A' integrated tax at the rate of 5% (₹5,000), 'B' shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business, i.e. outdoor catering service supplied by 'C', only to the extent of ₹3,000 (5% of ₹60,000) and not ₹10,800.”;

(ii) against serial number 8, after item (via) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(vib) Transport of passengers by any electrically operated vehicle designed to carry passengers where the cost of battery charging is included in the consideration charged from the service recipient.	5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service of transportation of passengers in an electrically operated vehicle or renting of an electrically operated vehicle, procured from another service provider), has not been taken. [Please refer to Explanation No. (iv)] Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges integrated tax at a rate higher than 5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 5%, shall not be taken. <i>Illustration:</i> 'A' engages 'B' for transportation of passengers from New Delhi to Gaya in an electrically operated vehicle for Rs. 1000. 'B', for supplying the said service, hires an electrically operated vehicle with operator from 'C' for Rs. 800. 'C' charges 'B' integrated tax at the rate of 18% (Rs. 144). If 'B' charges 'A' integrated tax at the rate of 5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by 'C' only to the extent of Rs. 40 (5% of Rs. 800) and not Rs. 144.
	or	
	18	-”;

(iii) against serial number 10, after item (ia) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ib) Renting of any electrically operated vehicle designed to carry passengers where the cost of battery charging is included in the consideration charged from the service recipient.	5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service of transportation of passengers in an electrically operated vehicle or service of renting of an electrically operated vehicle, procured from another service provider) has not been taken. [Please refer to Explanation No. (iv)]

		Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges integrated tax at a rate higher than 5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 5% shall not be taken. <i>Illustration:</i> ‘A’ engages ‘B’ for renting of electrically operated vehicle for transportation of passengers for Rs. 1000. ‘B’, for supplying the said service, rents an electrically operated vehicle with operator from ‘C’ for Rs. 800. ‘C’ charges ‘B’ integrated tax at the rate of 18% (Rs. 144). If ‘B’ charges ‘A’ integrated tax at the rate of 5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by ‘C’ only to the extent of Rs. 40 (5% of Rs. 800) and not Rs. 144.
	or	
	18	-
(ic) Renting of any electrically operated vehicle for transportation of goods where the cost of battery charging is included in the consideration charged from the service recipient.	5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service of transportation of goods by an electrically operated vehicle or service of renting of an electrically operated vehicle, procured from another service provider) has not been taken: [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)] Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges integrated tax at a rate higher than 5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 5% shall not be taken. <i>Illustration:</i> ‘A’ engages ‘B’ for renting of electrically operated vehicle for transportation of goods for Rs. 1000. ‘B’, for supplying the said service, rents an electrically operated vehicle with operator from ‘C’ for Rs. 800. ‘C’ charges ‘B’ integrated tax at the rate of 18% (Rs. 144). If ‘B’ charges ‘A’ integrated tax at the rate of 5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by ‘C’ only to the extent of Rs. 40 (5% of Rs. 800) and not Rs. 144.
	or	
	18	-”;

(iv) against serial number 12, for item (iii) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) Delivery services, other than (i) and (ii) above, (a) supplied through electronic commerce operator where the person supplying such services is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (b) in relation to goods, where such goods are supplied through an electronic commerce operator.	5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying delivery service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)].”;

(b) paragraph 3 shall be omitted;

(c) in paragraph 5 relating to Explanation, -

(i) for clause (xxxx), the following clause shall be substituted: -

“(xxxx) “goods transport agency” means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called;”

(ii) after clause (xxxiv), the following clause shall be inserted, namely:-

“(xxxv) “electrically operated vehicle” means a road vehicle which runs solely on electrical energy derived from an external source or from one or more electrical batteries fitted to such vehicle and shall include E- bicycles;”.

2. This notification will come into effect from the 1st day of November, 2026.

[F. No. 190354/142/2026-TRU Section-CBIC]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note : The principal notification number 8/2017 - Integrated Tax (Rate) dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 683 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended *vide* notification no. 15/2025- Integrated Tax (Rate), dated the 17th September, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 664(E), dated the 17th September, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2026

सं. 06/2026- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 938(अ).— केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित संघ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1), (3) और (4), धारा 8 की उप-धारा (1) तथा धारा 21 के खंड (iv), (v) और खंड (xxvii), के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्य कर (दर), जिसे सा.का.नि 702 (अ), दिनांक 28, जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में, -

i. क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में -

(क) मद (i) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी होटल आवास सेवा के किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से खरीदी गई होटल आवास सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या देखें। (iv)]

बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर संघ राज्य क्षेत्र कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' ने 'ख' से ₹7,000 प्रति इकाई प्रति दिन की दर पर होटल आवास सेवा बुक की। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति करने के लिए, किसी अन्य आपूर्तिकर्ता 'ग' से ₹10,000 प्रति इकाई प्रति दिन की दर पर होटल आवास सेवा प्राप्त करता है। 'ग', 'ख' से 9% की दर से संघ राज्य क्षेत्र कर (₹900) वसूल करता है। 'ख', 'क' से 2.5% की दर से संघ राज्य क्षेत्र कर वसूल करता है। 'ख', 'ग' द्वारा आपूर्ति की गई समान राह में इनपुट सेवा पर केवल ₹250 (₹10,000 का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा, न कि ₹900 का।";

(ख) मद (ii) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट, व्यवसाय की तरह ही इनपुट और इनपुट सेवाएँ के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी निर्दिष्ट परिसर के अलावा रेस्तरां सेवा के किसी अन्य सेवा प्रदाता से खरीदी गई सेवा) के अलावा, नहीं लिया गया है [कृपया स्पष्टीकरण संख्या देखें। (iv)]";

(ग) मद (iii) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट और इनपुट सेवाएँ के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी माल की आपूर्ति, मानव उपभोग के लिए भोजन या कोई अन्य वस्तु या कोई पेय, चाहे ट्रेनों में या प्लेटफार्मों पर, भारतीय रेलवे या आई.आर.सी.टी.सी. या उनके लाइसेंसधारियों से खरीदा गया हो) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या देखें। (iv)]";

(घ) मद (iv) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी बाह्य कैटरिंग सेवा के किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से खरीदी गई बाह्य कैटरिंग सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या देखें। (iv)]

बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर संघ राज्य क्षेत्र कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।";

(ङ) मद (v) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी बाह्य कैटरिंगसेवा के किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से खरीदी गई बाह्य कैटरिंग सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या देखें। (iv)]

बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर संघ राज्य क्षेत्र कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' ने 'ख' को विनिर्दिष्ट परिसर से भिन्न परिसर में आयोजित विवाह समारोह के लिए ₹1,00,000 की राशि पर परिसर को किराए पर देने के साथ बाह्य कैटरिंग की सम्मिश्र आपूर्ति हेतु नियोजित किया। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति करने के लिए, ₹60,000 की राशि पर किसी अन्य बाह्य कैटरिंग सेवा प्रदाता 'ग' को नियोजित करता है। 'ग', 'ख' से 9% की दर से संघ राज्य क्षेत्र कर (₹5,400) वसूल करता है। 'ख', 'क' से 2.5% की दर से संघ राज्य क्षेत्र कर (₹2,500) वसूल करता है। 'ख', 'ग' द्वारा आपूर्ति की गई समान राह में इनपुट सेवा, अर्थात् बाह्य कैटरिंग सेवा, पर केवल ₹1,500 (₹60,000 का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा, न कि ₹5,400 का।";

- ii. क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (via) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
"(vib) यात्रियों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी विद्युत संचालित वाहन द्वारा यात्रियों का परिवहन जहां बैटरी चार्जिंग की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित है।	2.5	बशर्ते कि व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी अन्य सेवा प्रदाता से विद्युत संचालित वाहन में यात्रियों के परिवहन की सेवा या विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने की सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।] बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर संघ राज्य क्षेत्र कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। उदाहरण: 'A' 1000 रुपये में 'B' को विद्युत संचालित वाहन से नई दिल्ली से गया तक परिवहन के लिए नियुक्त करता है। 'B', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'C' से 800 रुपये में ऑपरेटर के साथ एक विद्युत संचालित वाहन किराए पर लेता है। 'C' 9% (72 रुपये) की दर से 'B' से संघ राज्य क्षेत्र कर वसूलता है। यदि 'B' 2.5% की दर से 'A' से संघ राज्य क्षेत्र कर वसूलता है, तो वह 'C' द्वारा समान राह के व्यवसाय की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रुपये का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा नाकि 72 रुपये।
		या
	9	-";

- iii. क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (ia) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
"(ib) यात्रियों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी विद्युत संचालित वाहन को किराए पर देना जहां बैटरी चार्जिंग की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित है।	2.5	बशर्ते कि व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी अन्य सेवा प्रदाता से विद्युत संचालित वाहन में यात्रियों के परिवहन की सेवा या विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने की सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।] बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर संघ राज्य क्षेत्र कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। उदाहरण: 'A' यात्रियों के परिवहन के लिए विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने के लिए 'B' को 1000 रुपये में नियुक्त करता है। 'B', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'C' से 800 रुपये में ऑपरेटर के साथ एक विद्युत संचालित वाहन किराए पर लेता है। 'C' 9% (72 रुपये) की दर से 'B' से संघ राज्य क्षेत्र कर वसूलता है। यदि 'B' 2.5% की दर से 'A' से संघ राज्य क्षेत्र कर वसूलता है, तो वह 'C' द्वारा समान राह के व्यवसाय की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रुपये का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा नाकि 72 रुपये।
	<i>या</i>	
	9	-
(ic) माल के परिवहन के लिए किसी भी विद्युत संचालित वाहन को किराए पर देना जहां बैटरी चार्जिंग की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित है।	2.5	बशर्ते कि व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी अन्य सेवा प्रदाता से विद्युत संचालित वाहन में) माल के परिवहन की सेवा या विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने की सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या देखें। (iv)] बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर संघ राज्य क्षेत्र कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

		उदाहरण: 'A' माल के परिवहन के लिए विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने के लिए 'B' को 1000 रुपये में नियुक्त करता है। 'B', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'C' से 800 रुपये में ऑपरेटर के साथ एक विद्युत संचालित वाहन किराए पर लेता है। C' 9% (72 रुपये) की दर से 'B' से संघ राज्य क्षेत्र कर वसूलता है। यदि 'B' 2.5% की दर से 'A' से संघ राज्य क्षेत्र कर वसूलता है, तो वह 'C' द्वारा समान राह के व्यवसाय की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रुपये का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा नाकि 72 रुपये।
		या
	9	—”;

- iv. क्रम संख्या 12 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (iii) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) के अलावा डिलीवरी सेवाएं, (क) जिसकी आपूर्ति इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से की जाती है जहां ऐसी सेवाओं की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है (ख) वैसे माल के संबंध में, जिस माल की आपूर्ति इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से की जाती है।	2.5	बशर्ते कि डिलीवरी सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है [कृपया स्पष्टीकरण संख्या देखें। (iv)]।”;

(ख) अनुच्छेद 3 को हटा दिया जाएगा;

(ग) स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 में,

- i. खंड (xxxx) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

‘(xxxx)“माल परिवहन एजेंसी” से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारोषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।’;

- ii. खंड (xxxxiv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा:—

‘(xxxv)"विद्युत संचालित वाहन" का अर्थ ऐसे सड़क वाहन से है जो पूरी तरह से विद्युत ऊर्जा से चलता है। यह विद्युत ऊर्जा या तो बाहरी स्रोत से आती है या सड़क वाहनों में फिट की गई एक या एक से अधिक विद्युत बैटरी से आती है और इसमें ई-साइकिल शामिल होगी।’

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

[फा.सं. 190354/142/2026-टीआरयू अनुभाग-सीबीआईसी]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 15/2025- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) सा.का.नि. जिसे सा.का.नि. 665 (अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 के तहत अंतिम संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 06/2026- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 938(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 7, sub-section (1) of section 8, clause (iv), clause (v) and clause (xxvii) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number 11/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 702(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(a) in the Table, -

(i) against serial number 7, in column (3), -

(A) against item (i), in column (5), the following entry shall be substituted, namely: -

“Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. hotel accommodation service procured from another supplier of hotel accommodation service), has not been taken. [Please refer to Explanation No. (iv)]

Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges Union territory tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.

Illustration: ‘A’ books a hotel accommodation from ‘B’ for ₹7,000 per unit per day. ‘B’, for supplying the said service, procures hotel accommodation service from another supplier ‘C’ for ₹10,000 per unit per day. ‘C’ charges ‘B’ Union territory tax at the rate of 9% (₹900). ‘B’ charges ‘A’ Union territory tax at the rate of 2.5%, ‘B’ shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by ‘C’ only to the extent of ₹250 (2.5% of ₹10,000) and not ₹900.”;

(B) **against item (ii), in column (5),** the following entry shall be substituted, namely: -

“Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service procured from another service provider of restaurant service other than at specified premises), has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)]”;

(C) **against item (iii), in column (5),** the following entry shall be substituted, namely: -

“Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of inputs and input services in the same line of business (i.e. supply of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, whether in trains or at platforms, procured from Indian Railways or IRCTC or their licensees), has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)]”;

(D) **against item (iv), in column (5),** the following entry shall be substituted, namely: -

“Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. Outdoor catering service procured from another supplier of outdoor catering service), has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)]

Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges Union territory tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.”;

(E) **against item (v), in column (5),** the following entry shall be substituted, namely: -

“Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. outdoor catering service procured from another supplier of outdoor catering service), has not been taken. [Please refer to *Explanation* No. (iv)]

Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges Union territory tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.

Illustration: ‘A’ engages ‘B’ for a composite supply of outdoor catering together with renting of premises at premises other than specified premises, for a wedding function for ₹1,00,000. ‘B’, for supplying the said service, engages ‘C’, another outdoor catering service provider, for ₹60,000. ‘C’ charges ‘B’ Union territory tax at the rate of 9% (₹5,400). ‘B’ charges ‘A’ Union territory tax at the rate of 2.5% (₹2,500), ‘B’ shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business, i.e. outdoor catering service supplied by ‘C’, only to the extent of ₹1500 (2.5% of ₹60,000) and not ₹5,400.”;

(ii) against serial number 8, after item (via) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(vib) Transport of passengers by any electrically operated vehicle designed to carry passengers where the cost of battery charging is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service of transportation of passengers in an electrically operated vehicle or renting of an electrically operated vehicle, procured from another service provider), has not been taken. [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)] Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges Union territory tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken. <i>Illustration:</i> ‘A’ engages ‘B’ for transportation of passengers from New Delhi to Gaya in an electrically operated vehicle for Rs. 1000. ‘B’, for supplying the said service, hires an electrically operated vehicle with operator from ‘C’ for Rs. 800. ‘C’ charges ‘B’ union territory tax at the rate of 9% (Rs. 72). If ‘B’ charges ‘A’ union territory tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by ‘C’ only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 72.
	or	
	9	”;

(iii) against serial number 10, after item (ia) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ib) Renting of any electrically operated vehicle designed to carry passengers where the cost of battery charging is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service of transportation of passengers in an electrically operated vehicle or service of renting of an electrically operated vehicle, procured from another service provider) has not been taken. [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)] Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges Union territory tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5% shall not be taken. <i>Illustration:</i> ‘A’ engages ‘B’ for renting of electrically operated vehicle for transportation of passengers for Rs. 1000. ‘B’, for supplying the said service, rents an electrically operated vehicle with operator from ‘C’ for Rs. 800. ‘C’ charges ‘B’ union territory tax at the rate of 9% (Rs. 72). If ‘B’ charges ‘A’ union territory tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by ‘C’ only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 72.
	or	
	9	-

(ic) Renting of any electrically operated vehicle for transportation of goods where the cost of battery charging is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service of transportation of goods by an electrically operated vehicle or service of renting of an electrically operated vehicle, procured from another service provider) has not been taken: [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)] Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges Union territory tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5% shall not be taken. <i>Illustration:</i> ‘A’ engages ‘B’ for renting of electrically operated vehicle for transportation of goods for Rs. 1000. ‘B’, for supplying the said service, rents an electrically operated vehicle with operator from ‘C’ for Rs. 800. ‘C’ charges ‘B’ union territory tax at the rate of 9% (Rs. 72). If ‘B’ charges ‘A’ union territory tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by ‘C’ only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 72.
		or
	9	-”;

(iv) against serial number 12, for item (iii) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) Delivery services, other than (i) and (ii) above, (a) supplied through electronic commerce operator where the person supplying such services is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (b) in relation to goods, where such goods are supplied through an electronic commerce operator.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying delivery service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)].”;

(b) paragraph 3 shall be omitted;

(c) in paragraph 4, relating to Explanation,

(i) for clause (xxxx), the following clause shall be substituted: -

‘(xxxx) “goods transport agency” means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called;’

(ii) after clause (xxxiv), the following clause shall be inserted, namely:-

‘(xxxxv) “electrically operated vehicle” means a road vehicle which runs solely on electrical energy derived from an external source or from one or more electrical batteries fitted to such vehicle and shall include E- bicycles;’.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November 2026.

[F. No. 190354/142/2026-TRU Section-CBIC]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: The principal notification number 11/2017 -Union Territory Tax (Rate) dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 702 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification number 15/2025-Union Territory Tax (Rate), dated the 17th September, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 665(E), dated the 17th September, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2026

सं. 07/2026-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 939(अ).— केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) और (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. संख्या 691 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (I), में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

(क) सारणी में -

- (i) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (क) के पश्चात, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(कक) सीट-शेयर आधार पर हेलीकॉप्टर द्वारा वायुमार्ग से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा राज्य अथवा पश्चिम बंगाल में स्थित बागडोगरा में अवस्थित विमानपत्तन (हेलीपैड सहित) से उड़ान भरने वाले या वहाँ पर उतरने वाले”;

- (ii) क्रम संख्या 18 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण को हटा दिया जाएगा;

- (iii) क्रम संख्या 21क के समक्ष, कॉलम (3) में, खंड (च) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण.- इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात माल परिवहन एजेंसी के द्वारा ऐसे माल के बारे में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगी, जिस माल की आपूर्ति इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से की जाती है”;

- (iv) क्रम संख्या 24ख के स्थान पर, कॉलम (3) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“अनाज, दालों, फलों, सब्जियों और बुवाई के लिए बीजों के भंडारण या भाण्डागारण संबंधी सेवाएँ।”;

- (v) क्रम संख्या 31क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31 कक	शीर्षक 9971 या शीर्षक 9991	नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4) द्वारा शासित व्यक्तियों को नाविक भविष्य निधि संगठन द्वारा सेवाएं।	शून्य	शून्य";

(vi) क्रम संख्या 42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"42 क	शीर्षक 9973	केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय द्वारा विशेष मार्गाधिकार या पट्टा, लाइसेंस तथा पथकर की मांग करने, उसे एकत्र करने और विनियोजित करने के प्राधिकार प्रदान करने के रूप में सेवाएं।	शून्य	शून्य";

(vii) क्रम संख्या 54 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"54 क	शीर्षक 9986	काँफी की खेती करने वालों को प्रदान की जाने वाली काँफी के संसाधन संबंधी सेवाएँ। <i>स्पष्टीकरण</i> - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, "संसाधन" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए काँफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 3 के खंड (घ) में दिया गया है।	शून्य	शून्य";

(ख) पैराग्राफ 2 में,

(i) खंड (यड) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

‘(यड) "माल परिवहन एजेंसी" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।’;

(ii) खंड (ययग) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

‘(ययगक) “बीज” से अभिप्रेत ऐसी कोई पादप सामग्री है, जिसका उपयोग प्रवर्धन के लिए किया जाता है या बुआई के लिए किया जाना है, और जिसमें नवांकुर, कंद, बल्ब, प्रकंद, जड़ें, कलम,

सभी प्रकार के ग्राफ्ट, टिशू कल्चर से तैयार छोटे पौधे और वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित अन्य सामग्री शामिल है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं—

- (i) अनाज, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, रेशा वाली फसलों, चारे वाली फसलों, हरी खाद वाली फसलों और शर्करा वाली फसलों के बीज;
- (ii) फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों वाली फसलों, सजावटी फसलों और बागान फसलों के बीज; और
- (iii) रोपण सामग्री।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 190354/142/2026-टीआरयू अनुभाग-सीबीआईसी]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 12/2017 - केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि.सं. 691 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 16/2025-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, सा.का.नि.सं. 666 (अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 के तहत अंतिम संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 07/2026- Central Tax (Rate)

G.S.R. 939(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number 12/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,

(a) in the Table -

- (i) against serial number 15, in column (3), after item (a), the following item shall be inserted, namely: -

“(aa) air, in a helicopter on seat share basis, embarking from or terminating in an airport including a helipad located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura or at Bagdogra located in West Bengal”;

- (ii) against serial number 18, in column (3), the explanation shall be omitted;

- (iii) against serial number 21A, in column (3), after clause (f), the following explanation shall be inserted, namely: -

“*Explanation.* - Nothing contained in this entry shall apply to services provided by a goods transport agency in relation to goods, where such goods are supplied through an electronic commerce operator.”;

- (iv) against serial number 24B, in column (3), the following shall be substituted, namely: -

“Services by way of storage or warehousing of cereals, pulses, fruits, vegetables, and seeds meant for sowing”;

(v) after serial number 31A and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31AA	Heading 9971 or Heading 9991	Services by Seamen's Provident Fund Organisation to persons governed by the Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966).	Nil	Nil";

(vi) after serial number 42 and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"42A	Heading 9973	Services by way of grant of exclusive right of way or access, license and authority to demand, collect and appropriate toll fee by the Central Government, State Government, Union Territory, Local Authority, Governmental Authority or Government Entity.	Nil	Nil";

(vii) after serial number 54 and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"54A	Heading 9986	Services by way of curing of coffee supplied to coffee cultivators. Explanation - For the purposes of this entry, "curing" shall have the same meaning as assigned to it in clause (d) of section 3 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942).	Nil	Nil";

(b) in paragraph 2,

(i) for clause (ze), the following clause shall be substituted: -

‘(ze) “goods transport agency” means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called.’

(ii) after clause (zzc), the following clause shall be inserted, namely: -

‘(zzca) “seed” means any plant material, including seedlings, tubers, bulbs, rhizomes, roots, cuttings, all types of grafts, tissue culture plantlets, and other vegetatively propagated material, used or intended for use in propagation or sowing, and includes –

(i) seeds of cereals, coarse cereals, pulses, oilseeds, fibre crops, forage and fodder crops, green manures, sugar crops;

(ii) seeds of fruits, vegetables, spices, flower crops, ornamental crops and plantation crops; and

(iii) planting material.’.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

[F. No. 190354/142/2026-TRU Section-CBIC]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: The principal notification number 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 691 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification number 16/2025-Central Tax (Rate), dated the 17th September, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 666(E), dated the 17th September, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2026

सं. 07/2026-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 940(अ).— एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) और (4), धारा 6 की उप-धारा (1) और धारा 20 के साथ पठित, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों, का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. संख्या 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में:-

(i) क्रम संख्या 10ठ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10 ड	अध्याय 99	भारत में किसी विदेशी कम्पनी प्रतिष्ठान द्वारा, जो कि एक शिपिंग कम्पनी है, किसी सम्बंधित व्यक्ति से या भारत के बाहर उसके किसी अन्य प्रतिष्ठान से सेवाओं का आयात, जब बिना किसी प्रतिफल के किया जाता है। स्पष्टीकरण: विदेशी कंपनी का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (42) में दिया गया है।	शून्य	शून्य";

(ii) क्रम संख्या 16 के समक्ष, कालम (3) में, मद (क) के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“(कक) सीट-शेयर आधार पर हेलीकॉप्टर द्वारा वायुमार्ग से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा राज्य अथवा पश्चिम बंगाल में स्थित बागडोगरा में अवस्थित विमानपत्तन (हेलीपैड सहित) से उड़ान भरने वाले या वहाँ पर उतरने वाले”;

(iii) क्रम संख्या 19 के समक्ष, कालम (3) में, स्पष्टीकरण को हटा दिया जाएगा।

(iv) क्रम संख्या 22ए के समक्ष, कॉलम (3) में, खंड (च) के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“स्पष्टीकरण.- इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात माल परिवहन एजेंसी के द्वारा ऐसे माल के बारे में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगी, जिस माल की आपूर्ति इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से की जाती है”;

(v) क्रम संख्या 25बी के संबंध में, कॉलम (3) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

“अनाज, दालों, फलों, सब्जियों और बुवाई के लिए बीजों के भंडारण या भाण्डागारण संबंधी सेवाएँ”;

(vi) क्रम संख्या 32क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“32कक	शीर्षक 9971 या शीर्षक 9991	नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4) द्वारा शासित व्यक्तियों को नाविक भविष्य निधि संगठन द्वारा सेवाएं।	शून्य	शून्य”;

(vii) क्रम संख्या 44 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों अंतःस्थापित किया जाएगा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“44क	शीर्षक 9973	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय द्वारा विशेष मार्गाधिकार या पहुंच, लाइसेंस तथा पथकर की मांग करने, उसे एकत्र करने और विनियोजित करने के प्राधिकार प्रदान करने के रूप में सेवाएं।	शून्य	शून्य”;

(viii) क्रम संख्या 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों अंतःस्थापित किया जाएगा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“57क	शीर्षक 9986	काँफी की खेती करने वालों को प्रदान की जाने वाली काँफी के संसाधन संबंधी सेवाएँ। स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, “संसाधन” का वही अर्थ होगा जो इसके लिए काँफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 3 के खंड (घ) में दिया गया है।	शून्य	शून्य”;

(ख) पैराग्राफ 2 में,

(i) खंड (यड) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

‘(यड) “माल परिवहन एजेंसी” से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।’;

(ii) खंड (ययक) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा: —

‘(ययकक) “बीज” से अभिप्रेत ऐसी कोई पादप सामग्री है, जिसका उपयोग प्रवर्धन के लिए किया जाता है या बुआई के लिए किया जाना है, और जिसमें नवांकुर, कंद, बल्ब, प्रकंद, जड़ें, कलम, सभी प्रकार के ग्राफ्ट, टिशू कल्चर से तैयार छोटे पौधे और वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित अन्य सामग्री शामिल है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं—

- (i) अनाज, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, रेशा वाली फसलों, चारे वाली फसलों, हरी खाद वाली फसलों और शर्करा वाली फसलों के बीज;
- (ii) फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों वाली फसलों, सजावटी फसलों और बागान फसलों के बीज; और
- (iii) रोपण सामग्री।’

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 190354/142/2026-टीआरयू अनुभाग-सीबीआईसी]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 9/2017 - एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि.सं. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 16/2025-एकीकृत कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, संख्या सा.का.नि. 667(अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 के तहत अंतिम संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 07/2026- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 940(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 5, sub-section (1) of section 6 and section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number 9/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(a) in the Table,-

- (i) after serial number 10L and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“10M	Chapter 99	Import of services by an establishment of a foreign company in India, which is a shipping company, from a related person or from any of its other establishments outside India, when made without consideration. <i>Explanation:</i> For the purpose of this entry, ‘Foreign company’ shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (42) of section 2 of Companies Act, 2013 (18 of 2013).	Nil	Nil”;

- (ii) against serial number 16, in column (3), after item (a), the following item shall be inserted, namely: -

“(aa) air, in a helicopter on seat share basis, embarking from or terminating in an airport including a helipad located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura or at Bagdogra located in West Bengal”;

(iii) against serial number 19, in column (3), the explanation shall be omitted;

(iv) against serial number 22A, in column (3), after clause (f), the following explanation shall be inserted, namely:-

“*Explanation.* - Nothing contained in this entry shall apply to services provided by a goods transport agency in relation to goods, where such goods are supplied through an electronic commerce operator”;

(v) against serial number 25B, in column (3), the following shall be substituted, namely: -

“Services by way of storage or warehousing of cereals, pulses, fruits, vegetables, and seeds meant for sowing”;

(vi) after serial number 32A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“32A A	Heading 9971 or Heading 9991	Services by Seamen's Provident Fund Organization to persons governed by the Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966).	Nil	Nil”;

(vii) after serial number 44 and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“44A	Heading 9973	Services by way of grant of exclusive right of way or access, license and authority to demand, collect and appropriate toll fee by the Central Government, State Government, Union Territory, Local Authority, Governmental Authority or Government Entity.	Nil	Nil”;

(viii) after serial number 57 and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“57A	Heading 9986	Services by way of curing of coffee supplied to coffee cultivators. <i>Explanation</i> - For the purposes of this entry, “curing” shall have the same meaning as assigned to it in clause (d) of section 3 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942).	Nil	Nil”;

(b) in paragraph 2,

(i) for clause (ze), the following clause shall be substituted: -

‘(ze) “goods transport agency” means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called.’;

(ii) after clause (zza), the following clause shall be inserted, namely: -

‘(zzaa) “seed” means any plant material, including seedlings, tubers, bulbs, rhizomes, roots, cuttings, all types of grafts, tissue culture plantlets, and other vegetatively propagated material, used or intended for use in propagation or sowing, and includes –

(i) seeds of cereals, coarse cereals, pulses, oilseeds, fibre crops, forage and fodder crops, green manures, sugar crops;

(ii) seeds of fruits, vegetables, spices, flower crops, ornamental crops and plantation crops; and

(iii) planting material.’.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

[F. No. 190354/142/2026-TRU Section-CBIC]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: The principal notification number 9/2017 -Integrated Tax (Rate) dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification number 16/2025 -Integrated Tax (Rate), dated the 17th September, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 667(E), dated the 17th September, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2026

सं. 07/2026- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 941(अ).— केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित संघ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (3) और (4), धारा 8 की उप-धारा (1) तथा धारा 21 के खंड (iv) और खंड (xxvii), के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28, जून, 2017 जिसे सा.का.नि 703 (अ), दिनांक 28, जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

(क) सारणी में -

(i) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (क) के पश्चात, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“(कक) सीट-शेयर आधार पर हेलीकॉप्टर द्वारा वायुमार्ग से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा राज्य अथवा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित बागडोगरा में अवस्थित विमानपत्तन (हेलीपैड सहित) से उड़ान भरने वाले या वहाँ पर उतरने वाले”;

(ii) क्रम संख्या 18 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण को हटा दिया जाएगा;

(iii) संख्या 21क के समक्ष, कॉलम (3) में, खंड (च) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण.”- इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात माल परिवहन एजेंसी के द्वारा ऐसे माल के बारे में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगी, जिस माल की आपूर्ति इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से की जाती है”;

(iv) क्रम संख्या 24ख के स्थान पर, कॉलम (3) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"अनाज, दालों, फलों, सब्जियों और बुवाई के लिए बीजों के भंडारण या भाण्डागारण संबंधी सेवाएँ।”;

(v) क्रम संख्या 31क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31क क	शीर्षक 9971 या शीर्षक 9991	नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4) द्वारा शासित व्यक्तियों को नाविक भविष्य निधि संगठन द्वारा सेवाएं।	शून्य	शून्य”;

(vi) क्रम संख्या 42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"42 क	शीर्षक 9973	केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय द्वारा विशेष मार्गाधिकार या पहुँच, लाइसेंस तथा पथकर की मांग करने, उसे एकत्र करने और विनियोजित करने के प्राधिकार प्रदान करने के रूप में सेवाएं।	शून्य	शून्य”;

(vii) क्रम संख्या 54 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"54 क	शीर्षक 9986	काँफी की खेती करने वालों को प्रदान की जाने वाली काँफी के संसाधन संबंधी सेवाएँ। <i>स्पष्टीकरण</i> - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, "संसाधन" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए काँफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 3 के खंड (घ) में दिया गया है।	शून्य	शून्य”;

(ख) पैराग्राफ 2 में,

(i) खंड (यड) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

‘(यड) "माल परिवहन एजेंसी" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।’;

(ii) खंड (ययग) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

‘(ययगक) “बीज” से अभिप्रेत ऐसी कोई पादप सामग्री है, जिसका उपयोग प्रवर्धन के लिए किया जाता है या बुआई के लिए किया जाना है, और जिसमें नवांकुर, कंद, बल्ब, प्रकंद, जड़ें, कलम, सभी प्रकार के ग्राफ्ट, टिशू कल्चर से तैयार छोटे पौधे और वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित अन्य सामग्री शामिल है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं—

- (i) अनाज, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, रेशा वाली फसलों, चारे वाली फसलों, हरी खाद वाली फसलों और शर्करा वाली फसलों के बीज;
- (ii) फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों वाली फसलों, सजावटी फसलों और बागान फसलों के बीज; और
- (iii) रोपण सामग्री।’

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 190354/142/2026-टीआरयू अनुभाग-सीबीआईसी]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 12/2017 - संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि.सं. 703 (अ), दिनांक 28 जून, द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 16/2025- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, सा.का.नि.सं. 668 (अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 के तहत अंतिम संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 07/2026- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 941(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 7, sub-section (1) of section 8 and clause (iv) and clause (xxvii) of section 21 of the Union territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number 12/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 703 (E), dated the 28th June, 2017, namely: -

In the said notification,

(a) in the Table -

(i) against serial number 15, in column (3), after item (a), the following item shall be inserted, namely: -

“(aa) air, in a helicopter on seat share basis, embarking from or terminating in an airport including a helipad located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura or at Bagdogra located in West Bengal”;

(ii) against serial number 18, in column (3), the explanation shall be omitted;

(iii) against serial number 21A, in column (3), after clause (f), the following explanation shall be inserted, namely:-

“*Explanation.* - Nothing contained in this entry shall apply to services provided by a goods transport agency in relation to goods, where such goods are supplied through an electronic commerce operator.”;

(iv) against serial number 24B, in column (3), the following shall be substituted, namely: -

“Services by way of storage or warehousing of cereals, pulses, fruits, vegetables, and seeds meant for sowing”;

(v) after serial number 31A and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“31AA	Heading 9971 or Heading 9991	Services by Seamen's Provident Fund Organisation to persons governed by the Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966).	Nil	Nil”;

(vi) after serial number 42 and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“42A	Heading 9973	Services by way of grant of exclusive right of way or access, license and authority to demand, collect and appropriate toll fee by the Central Government, State Government, Union Territory, Local Authority, Governmental Authority or Government Entity.	Nil	Nil” ;

(vii) after serial number 54 and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“54A	Heading 9986	Services by way of curing of coffee supplied to coffee cultivators. <i>Explanation</i> - For the purposes of this entry, “curing” shall have the same meaning as assigned to it in clause (d) of section 3 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942).	Nil	Nil”;

(b) in paragraph 2,

(i) for clause (ze), the following clause shall be substituted: -

‘(ze) “goods transport agency” means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called.’

(ii) after clause (zzc), the following clause shall be inserted, namely: -

‘(zzca) “seed” means any plant material, including seedlings, tubers, bulbs, rhizomes, roots, cuttings, all types of grafts, tissue culture plantlets, and other vegetatively propagated material, used or intended for use in propagation or sowing, and includes –

- (i) seeds of cereals, coarse cereals, pulses, oilseeds, fibre crops, forage and fodder crops, green manures, sugar crops;
- (ii) seeds of fruits, vegetables, spices, flower crops, ornamental crops and plantation crops; and
- (iii) planting material.’

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

[F. No. 190354/142/2026-TRU Section-CBIC]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 12/2017 - Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 703 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended *vide* notification number 16/2025-Union Territory Tax (Rate) dated the 17th September, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 668(E), dated the 17th September, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2026

सं. 08/2026-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 942(अ).— केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना संख्या 13/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. संख्या. 692 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, अंक "6" के स्थान पर, अंक "9" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 190354/142/2026-टीआरयू अनुभाग-सीबीआईसी]

मो. आदिल अशराफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 13/2017 - केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 692 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 07/2025-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025, को भारत के राजपत्र, असाधारण, सा.का.नि.सं. 44 (अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत अंतिम संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 08/2026-Central Tax (Rate)

G.S.R. 942(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number 13/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 692(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 15, in column (3), for the figure "6", the figure "9" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

[F. No. 190354/142/2026-TRU Section-CBIC]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy

Note: The principal notification No. 13/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 692 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended *vide* notification number 07/2025-Central Tax (Rate), dated 16th January, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 44(E), dated the 16th January, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2026

सं. 08/2026-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 943(अ).— एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की के तहत प्रदत्त शक्तियों, का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. संख्या 685 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में, अंक "12" के स्थान पर, अंक "18" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 190354/142/2026-टीआरयू अनुभाग-सीबीआईसी]

मो. आदिल अशराफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 10/2017 - एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि.सं. 685 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 07/2025-एकीकृत कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) संख्या सा.का.नि. 45 (अ), 16 जनवरी, 2025 के तहत अंतिम संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 08/2026-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 943(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number 10/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 685(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 17, in column (3), for the figure "12", the figure "18" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

[F. No. 190354/142/2026-TRU Section-CBIC]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: The principal notification no. 10/2017 -Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 685 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended *vide* notification no. 07/2025 -Integrated Tax (Rate), dated the 16th January, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 45(E), dated the 16th January, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2026

सं. 08/2026-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 944(अ).— संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28, जून, 2017 जिसे सा.का.नि 704 (अ), दिनांक 28, जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, अंक "6" के स्थान पर, अंक "9" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 190354/142/2026-टीआरयू अनुभाग-सीबीआईसी]

मो. आदिल अशराफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 13/2017 - संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि 704 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 07/2025- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025, को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) सा.का.नि. सं. 46 (अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत अंतिम संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 08/2026-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 944(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 704(E), dated the 28th June, 2017, namely: -

In the said notification, in the Table, against serial number 15, in column (3), for the figure "6", the figure "9" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

[F. No. 190354/142/2026-TRU Section-CBIC]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: -The principal notification no. 13/2017 -Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) , vide number G.S.R. 704 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification no. 07/2025 -Union Territory Tax (Rate), dated the 16th January, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub-section (i) vide number G.S.R. 46(E), dated the 16th January, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2026

सं. 09/2026 - केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 945(अ).— केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2017- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. संख्या 696 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में खंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा -

“(v) डाक तथा कूरियर सेवाओं को छोड़कर अन्य डिलीवरी सेवाएँ, सिवाय वहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है।”

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 190354/142/2026-टीआरयू अनुभाग-सीबीआईसी]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 17/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 696 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2025-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025, जिसे सा.का.नि. संख्या 669(अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 09/2026- Central Tax (Rate)

G.S.R. 945(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number 17/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 696(E) dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely: –

“(v) Delivery services, other than postal and courier services, except where the person supplying such services through electronic commerce operator is liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017.”

2. This notification shall come into force with effect from 1st day of November, 2026.

[F. No. 190354/142/2026-TRU Section-CBIC]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: The principal notification number 17/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 696 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended *vide* notification number 17/2025-Central Tax (Rate), dated 17th September, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 669(E), dated the 17th September, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2026

सं. 09/2026- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 946(अ).— एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. संख्या 689 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में खंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा -

“(v) डाक तथा कूरियर सेवाओं को छोड़कर अन्य डिलीवरी सेवाएँ, सिवाय वहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उप-धारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 के खंड (v) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 190354/142/2026-टीआरयू अनुभाग-सीबीआईसी]

मो. आदिल अशराफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 14/2017 - एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि.सं. 689 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 17/2025-एकीकृत कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) सा.का.नि. 670 (अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 के तहत अंतिम संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 09/2026- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 946(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number 14/2017-Integrated Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 689(E) dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, for clause (v) the following clause shall be substituted, namely: —

“(v) Delivery services, other than postal and courier services, except where the person supplying such services through electronic commerce operator is liable for registration under clause (v) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 read with sub-section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017.”

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

[F. No. 190354/142/2026-TRU Section-CBIC]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: - The principal notification number 14/2017 –Integrated Tax (Rate), was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 689(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended *vide* notification number 17/2025 –Integrated Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 670(E), dated 17th September, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2026

सं. 09/2026-संघ-राज्य क्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 947(अ).— संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. संख्या 708 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में खंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा -

“(v) डाक तथा कूरियर सेवाओं को छोड़कर अन्य डिलीवरी सेवाएँ, सिवाय वहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उप-धारा (1) के साथ पठित संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21 के खंड (vi) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है।”;

3. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 190354/142/2026-टीआरयू अनुभाग-सीबीआईसी]

मो. आदिल अशराफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 17/2017- संघ राज्य (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 708 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 17/2025- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025, को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) सा.का.नि. संख्या 671(अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 के तहत अंतिम संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 09/2026-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 947(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.17/2017-Union Territory Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 708(E) dated the 28th June, 2017, namely: -

In the said notification, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely: -

“(v) Delivery services, other than postal and courier services, except where the person supplying such services through electronic commerce operator is liable for registration under clause (vi) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 read with sub-section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act”;

2. This notification shall come into force with effect from 1st day of November, 2026.

[F. No. 190354/142/2026-TRU Section-CBIC]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: - The principal notification number 17/2017 -Union Territory Tax (Rate), dated 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 708 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification number 17/2025-Union Territory Tax (Rate), dated 17th September, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 671(E), dated 17th September, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2026

सं. 10/2026-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 948(अ).— केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिश पर, एतद्वारा पंजीकृत व्यक्ति के निम्नलिखित वर्ग को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- (i) किसी रियायत समझौते के अंतर्गत रियायतकर्ता, जो कि रियायत अवधि के दौरान रियायत प्राधिकारी को प्रचालन और रखरखाव सेवाएं प्रदान करता है,

पंजीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के रूप में, जो ऐसे प्रचालन और रख-रखाव सेवाओं की आपूर्ति पर केन्द्रीय कर का संदाय, ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा प्रचालन और रख-रखाव खर्चों के संबंध में रियायत करार के अनुसार संधारित एस्करो खाते से प्रभारित या डेबिट की गई राशि पर, उस कर अवधि में करेंगे जिसमें ऐसा खर्च इस प्रकार प्रभारित या डेबिट किया जाता है।

2. **स्पष्टीकरण :-** इस अधिसूचना के प्रयोजन से, -

(i) "रियायत समझौता" का अर्थ टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल के तहत एक रियायतकर्ता और रियायत प्राधिकारी के बीच किया गया एक समझौता है, जिसके तहत रियायतकर्ता को राजमार्ग या सड़क अवसंरचना के संबंध में टोल (पथकर) की मांग करने, उसे एकत्र करने और विनियोजित करने के विशेष अधिकार दिए जाते हैं और रियायत अवधि के दौरान ऐसे राजमार्ग या सड़क अवसंरचना का संचालन और रखरखाव करने की आवश्यकता होती है जहां रियायतकर्ता को रियायत शुल्क का अग्रिम भुगतान करने की आवश्यकता होती है;

(ii) "रियायत प्राधिकारी" का अर्थ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी इकाई जो रियायत समझौते में भाग लेता है।

3. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 190354/142/2026-टीआरयू अनुभाग-सीबीआईसी]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 10/2026-Central Tax (Rate)

G.S.R. 948(E).— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following class of registered person, namely: -

- (i) Concessionaire under a concession agreement, who supplies operation and maintenance services to the concessioning authority during the concession period,

as the registered persons, who shall pay central tax on the supply of such operation and maintenance services on the amount charged or debited from the Escrow Account, maintained in accordance with the concession agreement, towards operation and maintenance expenses incurred by such registered persons, in a tax period in which such expenditure is so charged or debited.

2. **Explanation:-** For the purpose of this notification,-

(i) "Concession Agreement" means an agreement entered into between a concessionaire and the concessioning authority under the Toll-Operate-Transfer model, whereby the concessionaire is granted the exclusive rights to demand, collect and appropriate toll in respect of a road or highway and is required to operate and maintain such road or highway during the concession period where the concessionaire is required to pay the concession fee upfront;

(ii) "Concessioning authority" means the Central Government, State Government, Union territory, local authority, Governmental Authority or Government Entity which enters into the Concession Agreement.

3. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

[F. No. 190354/142/2026-TRU Section-CBIC]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2026

सं. 10/2026- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 949(अ).— केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिश पर, एतद्वारा पंजीकृत व्यक्ति के निम्नलिखित वर्ग को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- (i) किसी रियायत समझौते के अंतर्गत रियायतकर्ता, जो कि रियायत अवधि के दौरान रियायत प्राधिकारी को प्रचालन और रखरखाव सेवाएं प्रदान करता है,

पंजीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के रूप में, जो ऐसे प्रचालन और रख-रखाव सेवाओं की आपूर्ति पर एकीकृत कर का संदाय, ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा प्रचालन और रख-रखाव खर्चों के संबंध में रियायत करार के अनुसार संधारित एस्क्रो खाते से प्रभारित या डेबिट की गई राशि पर, उस कर अवधि में करेंगे जिसमें ऐसा खर्च इस प्रकार प्रभारित या डेबिट किया जाता है।

2. स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन से, -

(i) "रियायत समझौता" का अर्थ टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल के तहत एक रियायतकर्ता और रियायत प्राधिकारी के बीच किया गया एक समझौता है, जिसके तहत रियायतकर्ता को राजमार्ग या सड़क अवसंरचना के संबंध में टोल की मांग, संग्रह और विनियोग के विशेष अधिकार दिए जाते हैं और रियायत अवधि के दौरान ऐसे राजमार्ग या सड़क अवसंरचना का संचालन और रखरखाव करने की आवश्यकता होती है जहां रियायतकर्ता को रियायत शुल्क का अग्रिम भुगतान करने की आवश्यकता होती है;

(ii) "रियायत प्राधिकारी" का अर्थ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी इकाई जो रियायत समझौते में भाग लेता है।

3. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 190354/142/2026-टीआरयू अनुभाग-सीबीआईसी]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 10/2026-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 949(E).— In exercise of the powers conferred by section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following class of registered person, namely: -

(i) Concessionaire under a concession agreement, who supplies operation and maintenance services to the concessioning authority during the concession period,

as the registered persons, who shall pay integrated tax on the supply of such operation and maintenance services on the amount charged or debited from the Escrow Account, maintained in accordance with the concession agreement, towards operation and maintenance expenses incurred by such registered persons, in a tax period in which such expenditure is so charged or debited.

2. *Explanation:* - For the purpose of this notification, -

(i) “Concession Agreement” means an agreement entered into between a concessionaire and the concessioning authority under the Toll-Operate-Transfer model, whereby the concessionaire is granted the exclusive rights to demand, collect and appropriate toll in respect of a road or highway and is required to operate and maintain such road or highway during the concession period where the concessionaire is required to pay the concession fee upfront;

(ii) “Concessioning authority” means the Central Government, State Government, Union territory, local authority, Governmental Authority or Government Entity which enters into the Concession Agreement.

3. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

[F. No. 190354/142/2026-TRU Section-CBIC]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2026

सं. 10/2026- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 950(अ).— केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिश पर, एतद्वारा पंजीकृत व्यक्ति के निम्नलिखित वर्ग को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(i) किसी रियायत समझौते के अंतर्गत रियायतकर्ता, जो कि रियायत अवधि के दौरान रियायत प्राधिकारी को प्रचालन और रखरखाव सेवाएं प्रदान करता है,

पंजीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के रूप में, जो ऐसे प्रचालन और रख-रखाव सेवाओं की आपूर्ति पर संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय, ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा प्रचालन और रख-रखाव खर्चों के संबंध में रियायत करार के अनुसार संधारित एस्क्रो खाते से प्रभारित या डेबिट की गई राशि पर, उस कर अवधि में करेंगे जिसमें ऐसा खर्च इस प्रकार प्रभारित या डेबिट किया जाता है।

2. स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन से, -

(i) “रियायत समझौता” का अर्थ टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल के तहत एक रियायतकर्ता और रियायत प्राधिकारी के बीच किया गया एक समझौता है, जिसके तहत रियायतकर्ता को राजमार्ग या सड़क अवसंरचना के संबंध में टोल की मांग, संग्रह और विनियोग के विशेष अधिकार दिए जाते हैं और रियायत अवधि के दौरान ऐसे राजमार्ग या सड़क अवसंरचना का संचालन और रखरखाव करने की आवश्यकता होती है जहां रियायतकर्ता को रियायत शुल्क का अग्रिम भुगतान करने की आवश्यकता होती है;

(ii) “रियायत प्राधिकारी” का अर्थ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी इकाई जो रियायत समझौते में भाग लेता है।

3. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 190354/142/2026-टीआरयू अनुभाग-सीबीआईसी]

मो. आदिल अशराफ, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 10/2026-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 950(E).— In exercise of the powers conferred by section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) read with section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following class of registered person, namely: -

(i) Concessionaire under a concession agreement, who supplies operation and maintenance services to the concessioning authority during the concession period,

as the registered persons, who shall pay Union Territory tax on the supply of such operation and maintenance services on the amount charged or debited from the Escrow Account, maintained in accordance with the concession agreement, towards operation and maintenance expenses incurred by such registered persons, in a tax period in which such expenditure is so charged or debited.

2. *Explanation:-* For the purpose of this notification,-

(i) “Concession Agreement” means an agreement entered into between a concessionaire and the concessioning authority under the Toll-Operate-Transfer model, whereby the concessionaire is granted the exclusive rights to demand, collect and appropriate toll in respect of a road or highway and is required to operate and maintain such road or highway during the concession period where the concessionaire is required to pay the concession fee upfront;

(ii) “Concessioning authority” means the Central Government, State Government, Union territory, local authority, Governmental Authority or Government Entity which enters into the Concession Agreement.

4. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

[F. No. 190354/142/2026-TRU Section-CBIC]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.